

राजस्थान सरकार

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक:- ई-33/प्रयो.सहा./133/2018/91

दिनांक: 05/02/18

आदेश

एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 21433/2017 शिवराज सिंह सोलंकी बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.11.2017 की पालना में निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-33/प्रयो.सहा./सीधी भर्ती-2013/2017/345 दिनांक 17.11.2017 के द्वारा श्री शिवराज सिंह सोलंकी पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी को प्रयोगशाला सहायक के पद पर की गई नियुक्ति को प्रत्याहारित किया गया था, के प्रभाव एवं क्रियान्वयन को अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया जाता है। परिणाम स्वरूप श्री शिवराज सिंह सोलंकी पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजकीय जयपुरिया चिकित्सालय जयपुर के आदेश क्रमांक 1064 दिनांक 03.08.2016 द्वारा आहरित वेतन यथावत प्राप्त करते रहेंगे।

21.11.2017 को आदेश को उलटा-गिरा कर 27.11.2017 को

17.11.2017 को उलटा-गिरा कर

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राज0, जयपुर।

दिनांक: 05/02/18

क्रमांक:- ई-33/प्रयो.सहा./133/2018/91

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज. जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, (ग्रुप-3) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज. जयपुर।
3. उपविधि परामर्शी, मुख्यालय।
4. श्री श्याम आर्य, अतिरिक्त महाअधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर।
5. उप निदेशक(प्रशा0), मुख्यालय एवं केस प्रभारी अधिकारी।
6. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जयपुरिया हॉस्पिटल, जयपुर।
7. प्रभारी, सर्वर रूम, क.नं. 302, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
8. श्री शिवराज सिंह सोलंकी पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी निवासी- ग्राम पोस्ट गोथाडा तह0 दौसा जिला दौसा (राज0)।
9. आदेश पत्रावली/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राज0, जयपुर